हर इन्सान-एक समान

एक राष्ट्र-एक जान

मेरा भारत महान

समता ज्योति

"जातिगत आरक्षण के रास्ते चलना मूर्खता ही नहीं, विध्वंसकारी है।"

-पं. जवाहरलाल नेहरू
(27 जून, 1961 को प्रधानमंत्री के रूप में मुख्यमंत्रियों को लिखे पत्र से)

वर्ष : 14 अंक : 05 देश के राष्ट्रवादी नागरिकों को समर्पित मासिक-पत्र 25 मई, 2023

Website: www.samtaandolan.co.in, E-mail: samtaandolan@yahoo.in मूल्य: प्रति अंक-5 रूपये, सालाना- 50 रूपये (चार पेज)

जातिवादी मनमानी का सात्विक विरोध जरूरी: समता आन्दोलन

जयपुर 14 मई । सन् 2008 में मात्र 11 संस्थापक सदस्यों से शुरू समता आंदोलन आज राजस्थान सहित देश के 10 प्रदेशों में काम कर रहा है। ये कहते हुए संरक्षक जस्टिस पानाचंद जैन ने बढ़कर हुए 11 लाख सदस्यों को 16वें स्थापना दिवस की बधाई दी।

जयपुर के तोतुका भवन में सदस्यों से ठसाठस भरे सभागार में समता गान से शुरू हुए स्थापना दिवस समारोह में पहले वार्षिक समता क्विज़ में पहले दूसरे नंबर पर विजेता महावीर प्रसाद शर्मा और आदित्य मिश्र को नकद पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

राम प्रकाश सारस्वत के नेतृत्व में बनी आयोजन समिति द्वारा आयोजित इस भव्य समारोह में वक्ताओं ने खुलकर जाति आधारित आरक्षण के सभी बिंदुओं पर विचार प्रकट किए। उपाध्यक्ष योगेन्द्र मेघसर ने नयी पीढ़ी के जुड़ाव का स्वागत करते हुए कहा कि विसंगतियों के साथ ही विकल्प भी हुआ करते हैं। नवरंग सिंगड़ोदिया ने फ्री बीज की चर्चा कर आरक्षण से जोड़कर कहा कि हमें विचार धारा को विशाल बनाना होगा। बी एल विजय ने एस ही एस टी एक्ट को वसूली का जरिया बनने पर चिंता प्रगट की तो समता युवा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष जितेन्द्र सिंह तंवर ने बताया कि रोड की बजाय कानूनी प्रक्रिया से अपना अधिकार लेना उचित है।

महासचिव राम निरंजन गोड़ ने कहा कि आज साधारण जन से प्रधानमंत्री तक समता आंदोलन से परिचित हैं। जयपुर संभाग के अध्यक्ष एडवोकेट ऋषिराज राठौड़ ने अपने औजपूर्ण भाषण में कहा कि मरुधर रूपी रेत के महासमुंद में भी समता आंदोलन हंस की तरह विचरण कर रहा है।

समता आंदोलन के मुखपत्र समताज्योति का 15 सालों से संपादक योगेश्वर झाडसरिया ने समता आंदोलन को आधुनिक भारत में गुरुगोविंद सिंह के आदर्शों को आगे बढ़ाने वाला बताया। इसी अवसर पर राधामोहन शर्मा, एम एल महेश्वरी, रामप्रकाश सारस्वत और पीयूष माथुर को समारोह सफल बनाने के लिए सम्मानित किया गया। एल डी शर्मा, कर्नल सूरजमल, कर्नल शिशुपाल सिंह, आदित्य मिश्र ने भी विचार प्रगट किए।

अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में समता आंदोलन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पाराशर नारायण शर्मा ने इंदिरा साहनी संविधान पीठ के निर्णय से लेकर वर्तमान तक जातिआरक्षण के हर पहलू पर सरल किंतु बेबाक टिप्पणी करते हुए कहा कि जाति आधारित आरक्षण संविधान सम्मत नहीं अपितु सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार है। उन्होंने जोर देकर कहा कि एट्रोसिटी एक्ट में सीधी गिरफ्तारी नहीं की जा सकती है। उन्होंने कहा ई डब्ल्यू एस समता आंदोलन के कारण मिला है लेकिन हम उसके समर्थक नहीं फिर भी विरोध नहीं करेंगे क्योंकि ये देश में जाति आरक्षण समापन की शुरुआत है । हालांकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एस सी एस टी को ही पिछड़ा मान कर आरक्षण दिया जा रहा है लेकिन अब तक पिछड़ेपन की कोई परिभाषा नहीं थी परन्तु ई डब्ल्यू एस के अनुसार पिछड़े की जो परिभाषा निर्धारित की गई है उसे यदि लागू किया जाएगा तो देश की 75 प्रतिशत आबादी आरक्षण से बाहर हो जायेगी।

सुप्रीम कोर्ट में चल रहे प्रयासों की जानकारी देते हुए बताया कि आरक्षण मात्र दस साल के लिए दिया गया था जो स्वयं लैप्स हो जाता । इसके खिलाफ तीन रिटें सालों से पेंडिंग हैं। दो बार संविधान पीठ गठन की प्रक्रिया भी चल चुकी है इस लिए अब जो रिट लगाई गयी है हर चुनाव पर सीटों के रोटेशन या फिर सीटों के स्थान पर टिकटों के आरक्षण की मांग की गई है। दिये गये तथ्यों के आधार पर अंत में उन्होंने संपूर्ण भारत को आश्वस्त किया कि हम सबके जीवन काल में ही जाति आधारित आरक्षण से मुक्ति मिल जाएगी। समारोह का संचालन विकास शर्मा ने और व्यवस्था प्रभार दुर्गादास, सुमेर, सुभाष छीपा ने संभाला। समारोह का समापन समता गायन - जागना है जागकर जगाना है समाज को से हुआ।

जारी रहेगा ईडब्ल्यूएस आरक्षण: सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली। देश में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) को दस प्रतिशत आरक्षण जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने 103वें संविधान संशोधन को वैध ठहराने वाले संविधानिक पीठ के पूर्व में दिये गये फैसले के खिलाफ दायर समीक्षा याचिकाओं को खारीज कर दिया है।

चीफ जस्टिस डीवाई चन्द्रचूड की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि पूर्व के फैसले में रिकार्ड के स्तर पर कोई त्रुटि नहीं मिली है। इसलिये पुनर्विचार का कोई आधार नहीं है। पिछले साल सात नवम्बर को सुप्रीम कोर्ट ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण को संविधानिक माना था।

सरकार ने सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को 10 फीसदी आरक्षण दिया था। इसके लिए संविधान में 103वां संशोधन किया किया था। वैसे कानूनन आरक्षण की सीमा 50 फीसदी से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मामला यहीं फंस गया था कई लोगों को आपत्ति थी कि सामान्य वर्ग को 10 फीसदी आरक्षण मिलने से यह करीब 60 फीसदी के बराबर हो जाएगा जो कि संविधान को घोर उल्लंघन है।

केंद्र सरकार ने सफाई दी कि आरक्षण के 50 प्रतिशत बैरियर को हमने नहीं तोड़ा है । यह आरक्षण 50 प्रतिशत में आने वाले सामान्य वर्ग के लोगों के लिए ही है। यह बाकी के 50 प्रतिशत वाले ब्लॉक को डिस्टर्ब नहीं करता है।

अध्यक्ष की कलम से

धार्मिक आरक्षण उचित नहीं

साथियों,

कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को भारी बहुमत मिलने की बधाई। लेकिन जिस तरह धार्मिक ध्रुवीकरण के लिए धार्मिक आरक्षण को बहाल करने की मंशा पर सत्ता प्राप्त की गई है उस पर हम दुख और चिंता प्रकट करते हैं।

मात्र जाति आधारित आरक्षण ने भारत के भविष्य को कितना घायल किया है इस पर तो अभी शोध शुरू भी नहीं हुआ और अब धार्मिक आरक्षण यदि चुनावों में मुद्दा बनकर फलिभूत होता है तो एक नहीं दस समता आन्दोलन भी कुछ नहीं कर पायेंगे।

पहली बात तो सनातन धर्मी भारत में किसी भी अन्य धर्म को धर्म कहने से पहले उसकी तह तक जाना पड़ेगा। दूसरी बात ये कि जब भारत के महान संविधान ने मुस्लिम, पारसी, सिख, जैन, बौद्ध आदि को पहले ही अल्पसंख्यक का दर्जा देकर उनके संरक्षण और सुरक्षा की पहले से ही सारी व्यवस्था कर रखी है तो फिर धर्म को सत्ता का उपकरण बनाने के खराब प्रयास को कम से कम कोई सभ्य इन्सान तो मान्यता देगा नहीं।

जाति आधारित आरक्षण अब धीरे-धीरे अन्तिम सीढी की तरफ बढ रहा है ऐसे में सवा सौ साल पुरानी पार्टी यदि देश को धार्मिक आरक्षण की तरफ धकेलना चाहती है तो यह जनता को गुमराह करने के अलावा और कुछ भी नहीं है क्योंकि यह अधिकार अन्ततः केन्द्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट की स्वीकृति के बिना किसी को नहीं दिया जा सकता है। देश की दोनों बड़ी पार्टियों को कम से कम इस मुद्दे पर साथ बैठकर अवश्य ही धर्म को राजनीति से दूर रखने का कोई स्थायी समाधान अवश्य ही खोजना चाहिये।

जय समता

सम्पादकीय

''सबसे खतरनाक है राजनैतिक भ्रष्टाचार''

यदि ये कहा जाये कि भ्रष्टाचार कुछ नहीं होता है तो अनेक लोग इसका विरोध करेंगे। संभव है कि उनमें से अधिकांश लोग भ्रष्टाचार के पंक में आकंठ डुबे हुये हों। भ्रष्टाचार पर सबसे पहली टिप्पणी ढाई हजार साल पहले आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य ने की थी। उस काल खण्ड में उन्होंने कहा था- ''जिस तरह जल में तैरती मछली कब और कितना पानी पी जाती है वैसे ही राजकर्मचारी कब और कितना धन हड़प जाता है ये जानना कठिन है।''

प्रश्न आता है कि क्या राजकर्मी ही भ्रष्ट होता है? नहीं ये सच नहीं है। क्योंकि सुबह दूध देने वाला कितना पानी कितना दूध देता है? सब्जी-फल का दुकानदार पूरे पैसे लेकर भी कब सड़ा हुआ माल मिला देता है? हलवाई मावे के स्थान पर मैंदा के गुलाबजामुन तोल देता है? श्री व्हीलर वाला बिना मीटर के क्या चलता है? आदि-आदि अनगिनत उदाहरण हम रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हैं जो प्रत्यक्षत: भ्रष्टाचार के प्रमाण हैं।

भ्रष्ट आचरण से पहले विचार भ्रष्ट होता है। विचार को भ्रष्ट करने के लिए प्रिंट, इलैक्ट्रानिक, सोशल मीडिया आदि कितने ही उपकरण हमारे चारों तरफ दिन भर सक्रिय रहकर जन के मानस को भ्रष्ट बनाते हैं जो बहुत कम समय में आचरण का हिस्सा बन जाता है। यहाँ तक कि भीख मांगने जैसी विचार भ्रष्टता भी अब आचरण भ्रष्टता या कहें भ्रष्टाचार का हिस्सा है। याद होगा! हमारे देखते-देखते एक फिल्मी गीत- ''ओ बाबू एक पैसा देदे तथा तू एक पैसा देगा वो दस लाख देगा'' देशभर में गूंजता था। भिखमंगे आज भी हैं लेकिन अब वे एक पैसा या एक रूपया नहीं वरन दस रूपये मांगता है।

पैसे या धन का भ्रष्टाचार कोई नहीं रोक सकता क्योंकि इसके मूल में राजसत्ता और राजकर्मी जुड़े होते हैं। लेकिन दुख और चिंता की बात ये है कि लोकनेता अब राजनेता बन गये हैं और पब्लिक सर्वेंट अब राजकर्मी बन बैठे हैं। राजकर्मी का भ्रष्टाचार साधारणत: जनता पर पैसे की मार करता है जब कथित राजनेता जनता के आचरण और भविष्य को भ्रष्ट करता है।

राजनैतिक भ्रष्टाचार का सर्वाधिक प्रभाव देखा जा सकता है। उदाहरण के तौर पर राजस्थान लोक सेवा आयोग का एक सदस्य पेपर बेचने के आरोप में जेल गया है। निरंजन आर्य का मुख्य सचिव बनाने के लिए लगभग दस सीनियर आई.ए.एस. की सीनियरटी को अनदेखा किया गया। जातिवाद को संरक्षण देने के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को बार-बार अनदेखा किया गया। बैकलॉग के नाम पर बड़ी संख्या में अनाधिकृत लोगों को वर्तमान सरकार ने नियुक्तियाँ दी। आदि-आदि।

कहते हैं विकास मूल रूप से भ्रष्टाचार का पिता होता है। अभी भी हिमाचल में माणा नामक एक गांव ने सदियों से प्रयास करके पुलिस, प्रशासन और कथित विकास से स्वयं को अलग रखा है तो वहा भ्रष्टाचार नहीं है।

देश में जाति आरक्षण का जो जहर फैल रहा है वो मूल रूप में राजनैतिक भ्रष्टाचार का सर्वोच्च उदाहरण है और साथ में अनेक प्रकार के भ्रष्टाचारों का उत्पादक है। लेकिन देश का दुर्भाग्य ये है कि चुनकर आने वाले जन प्रतिनिधियों में एक बड़ा प्रतिशत भ्रष्ट और आपराधिक वृति के लोगों का होता है। प्रश्न उठते है। बार-बार उठते है और हर बार प्रश्नों से ही दबा दिये जाते हैं। यही है सबसे बड़ा भ्रष्टाचार ।

जय समता।

- योगेश्वर झाड़सरिया

समता आन्दोलन के बारे में सामान्य व रूढ़ अवधारणायें

सबसे पहले हमें समता शब्द के शाब्दिक अर्थ को समझना होगा। साथ ही इस शब्द के समान यानि समता शब्द के Parellal (समातंर) शब्द समानता के अन्तर को समझना होगा। अंग्रेजी में देखा जाये तो समानता शब्द की अंग्रेजी है - Similarty जबकि समता शब्द की अंग्रेजी है Equility समानता शब्द में आवश्यकता के तत्व का अभाव है - आवश्यकता हो न हो, एकसार वितरण हो यथा किसी परिवार में भाई अमीर हो या गरीब सम्पन्न हो या विपन्न सम्पति का बराबर विभाजन होता है - परिवार के खर्चों में भी बराबर-बराबर विभाजन होता है। परिवार के खर्चों में भी बराबर का साझा करना पड़ता है। इसमें न्याय तत्व के वास्तविक तत्व का अभाव है। समता शब्द न्याय पर आधारित है - जिसमें जिसको जितना चाहिये उतना मिले - यह वास्तविक न्याय की अवधारणा है। यथा किसी एक या दो भाई पर अभाव है तो सम्पन्न भाई उसकी मदद करे।

भारतीय समाज की रचना का आधार वैदिक काल में जन्मना जातिय न होकर व्यवसाय आधारित जातीय था और सवर्ण, या पिछड़े की अवधारणा न होकर सर्वजन हिताय का मूल था। यही कारण है कि अत्यन्त प्राचीनकाल से आरक्षण का आधार भी जातीय नहीं था।

पश्चात का भारत विदेशी आक्रांताओ का शिकार हुआ गुलामी भोगी व लगभग 1000 साल बाद पुन: आजाद भारत का स्वरूप आया। संविधान बना - यहां मैं आपका ध्यान भारत के संविधान की प्रस्तावना जो संविधान की आत्मा कहलाती है उसकी शब्दावली की ओर ध्यान आकर्शित करना चाहूंगा - प्रस्तावना में लिखा है कि Justice-Social, Economic, Political यानि- सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक - न्याय की प्राप्ति के लिये - अर्थात पहले सामाजिक न्याय फिर आर्थिक न्याय और अंत में राजनैतिक न्याय देते हुये आगे बढना है। यही क्रम रहना चाहिये, संविधान व प्रस्तावना के लिखे अक्षरों व शब्दों में हेर फेर नहीं हो सकता। यहीं पर भूल हो गयी - हमने पहले राजनैतिक फिर सामाजिक और अंत में आर्थिक न्याय के लिये काम किया हुआ कि हम राजनैतिक न्याय यानि वोट के भंवर जाल में फंसकर सबसे पहले सामाजिक व आर्थिक न्याय को तो भूल गये। नतीजा सामने है जाति आधारित वर्ग विभेदित समाज। जाति समाज कोई हो धनवान, और धनवान, गरीब और गरीब।

इस कुव्यवस्था, अव्यवस्था व अन्याय के पंक से निकला समता आन्दोलन जिसकी नाल थी श्री पाराशर नारायण जी के पेट में आज यह आन्दोलन कायनात का हिस्सा बन गया है। जन्मतिथि बनी 11 मई 2008 जयपुर के कला केन्द्र 11 व्यक्तियों द्वारा आन्दोलन की आज 16 वीं वर्षगांठ मना रहे है।

मैं अब संबंधित विवरण के साथ समता आन्दोलन के बारे में जो भ्रमात्मक अवधारणा व रूढ़ विचार मुझे सर्वेक्षण के दौरान मिले उनके बारे में कहता व प्रकट करता हूँ। यह विचार का स्पष्टीकरण हमें समाज में व्याप्त भ्रम को दूर करवायेगा। यही आज के समारोह में प्रशिक्षण का विषय भी साबित होगा। यह मेरा मानना है।

अवधारणा 1. समता आन्दोलन सवर्णों के हितों को साधने वाला केवल सवर्ण कर्मचारियों का SC/ST के आरक्षण के विरोध में आन्दोलन है? बिल्कुल गलत अवधारणा व प्रचार है। समतावादियों का संघर्ष जातियता के विरूध राष्ट्रीय आन्दोलन व मानव कल्याण के उद्देशय का आन्दोलन है। संविधान की व्यवस्था व भावना के अनुरूप आरक्षण हो। - जातीय आधार पर पीढ़ी दर पीढी आरक्षण न हो। संविधान के अनुच्छेद 46 में आरक्षण के साथ-साथ आर्थिक संपन्नता का तत्व शब्द भी जुड़ा है। साथ ही SC/ST वर्ग में संविधान सूची में वर्णित जातियों के हितार्थ इस व्यवस्था से उन्ही के वर्ग में सम्पन्न हो गए लोगों द्वारा अन्य बकाया लोगों को अधिकार से वंचित रखने के षडयंत्र व बहकावे से बचने का संदेश प्रसार करने वाला मंच है। संविधान में लिखित 28 प्रतिशत आरक्षण व्यवस्था से लाभ लेकर आर्थिक रूप से संपन्न लोग बकाया लोगों के लिए अधिकार छोड़ दे तो बकाया 72 में से फिर 28 प्रतिशत और फिर 28 प्रतिशत लोग आगे बढ़ते जाते तो आर्थिक अभाव अब तक समाप्त हो चुका होता पर जो लोग लाभ ले चुके हैं वे और संपन्न होकर भी लाभ ले रहे है। उनका हक ना छिन जाए इसके लिए अपने ही वर्ग के SC/ST भाईयों को बहकाने व मूर्ख बनाने का कार्य कर रहे है। वे नहीं चाहते कि उनके ही समाज के अन्य लोगों का स्तर बढ़ जाए और उनकी दादागिरी व राज समाप्त हो जाए।

2. समता आन्दोलन केवल कर्मचारियों का आन्दोलन है व्यापारी, किसान, दुकानदार, मजदूर और SC/ST/OBC संवर्ग के लोगो का क्या लेना देना है? यह बिल्कुल गलत अवधारणा है। यह राजनीतिज्ञों व नौकरशाहों द्वारा परिभाशा कर एक षड्यंत्र की आधारभूत धारणा है। व्यापारी दुकानदार, किसान हो या मजदूर इनके पुत्र पुत्री राजकीय कर्मचारी भी है या कर्मचारी बनेंगे। इसी तरह आज जो राज्य कर्मचारी है उसका पुत्र/पुत्री कल व्यापारी दुकानदार व किसान भी बनेंगा। अत: दोनो ही तरीके से यह सबको प्रभावित करने वाली व्यवस्था का आन्दोलन है। फिर मैं जोर देकर कहता हूँ कि आरक्षण के लाभ से उन्हीं के संवर्ग के लोगों द्वारा जो आरक्षण का लाभ लेकर संपन्न बन चुके हैं अपने ही संवर्ग के लोगों के हितो को बहकाने वाला प्रयास है।

3. आरक्षण का विरोध समता आन्दोलन का उद्देशय है? बिल्कुल गलत अवधारणा यह आन्दोलन आरक्षण विरोधी आन्दोलन ना होकर राष्ट्रीय आन्दोलन है। जिसमें राष्ट्रीय कल्याण के चार लक्ष्य रखें गए है वे है 1. हर इंसान एक समान 2. एक राष्ट्र एक समाज 3. मेरा भारत महान 4. ऊँ सर्वे भवन्तु सुखिन: सर्वे सन्तु निरामय:। सर्वे भद्राणि पष्यन्तु मा कश्चिद् दु:ख भाग्भवेत।। जो जातीयता के विरूद्ध व संवैधानिक रूप से वर्णित आरक्षण व्यवस्था लागू करने पर जोर देता है। स्वामी दयानन्द ने कहा था कि श्रेदों की ओर लोटो अर्थात वापिस मत आओ। बल्कि वेदों के अनुसार आचरण करो समता मंच कहता है कि संविधान की ओर लोटो -संविधान को मत लौटाओ, न लुटाओ न गलत व्याख्या करो। संविधान देश की जीवन पद्धति का निर्धारक स्त्रोत व धर्म ग्रन्थ उसी अनुरूप आचरण करो उसके आदेश को ना मानना अवमानना या नैतिक पाप है। यह न केवल समतावादियों का बल्कि हमारा आपका सबका आन्दोलन है। यह हमारी भावी पीढ़ी के लिए हमारे प्रयासों का मंच है। हमने फ्ल नहीं चखा तो क्या हुआ भावी पीढ़ी तो प्रताड़ित नहीं होगी। उसी के लिए प्रयास है। समता मूलक समाज की स्थापना इसका उद्देश्य है।

4. समता आन्दोलन समता वादियों का समूह है जो अभी तक कुछ नहीं कर पाया है? समता आन्दोलन ने अपने उदभव से लेकर आज तक अत्यन्त प्रयास किए है व सफ्लताएं प्राप्त की है। संवैधानिक प्रावधानों का सहारा लेकर व्यवस्थापिका यानि संसद व विधान सभाओं में व जोरदारी से अपनी आवाज उठाई है। व हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक सफ्लताएं प्राप्त की है। इसका एक उदाहरण यह है कि राजस्थान हाई कोर्ट में एक याचिका पदोन्नति में आरक्षण के विरूध 2008 में लगाई जिसका निर्णय 5 फरवरी 2010 को हुआ और याचिका स्वीकार हुई। इसके विरूद्व राजसरकार सुप्रीम कोर्ट में गई तो समता आन्दोलन ने वहां भी अपना पक्ष रखा। और सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर मोहर लगा दी। इसी प्रकार इस व्यवस्था को राज्य सरकार द्वारा लागू ना करने पर अवमानना याचिका लगाई जिसमें मुख्य सचिव व कार्मिक सचिव को हाईकोर्ट ने सजा सुनाई। यह हमारी बडी सफ्लता है।

5. समता मंच केवल सेवानिवृत्त कर्मचारियों का समूह है। यह मानना बिल्कुल गलत है श्री पाराशर नारायण स्वयं राज्य सरकार में कर विभाग में उच्च स्तर के अधिकारी रहते हुए इस मंच से लडे अपने 11 साथियों को प्रारम्भिक सदस्य बनाया। श्री संजय दीक्षित कार्यरत आई.ए.एस. व अन्य उच्च स्तर के अधिकारी आज भी इसके सक्रिय सदस्य है। जस्टिस पानाचंद जैन आई.ए.एस. भागीरथ शर्मा जैसे लोग इस आन्दोलन को उत्साह प्रदान कर रहे है। बहुत-बहुत गलत बातें समाज में प्रचारित है। समता आन्दोलन का उद्देश्य समतावादियों को प्रशिक्षण देना व समाज में सही संदेश पहुचांने के लिए तैयार करना है यहां तक की पीपल व वट वृक्ष आरोपण टोल टैक्स के विरूद्व कार्यवाही सौर ऊर्जा के लिए प्रयास भी हमारे लक्ष्य है। इस कार्य में नीति पत्र हमारा ओल्ड टेस्टामेंट व भारतीय संविधान हमारा धर्म ग्रंथ है। बहुत लोगों ने अपना मूल्यवान समय इस आन्दोलन को प्रदान कर रखा है।

- ओमप्रकाश शर्मा, भरतपुर

पौराणिक कथन : ''सव्य''

देवराज इन्द्र का प्रतिरूप अंगिरा ऋषि का पुत्र जो ऋग्वेद की रिचाओं का दृष्टा भी था।

वे अजमाते सारी तिकड़म,
फिर भी जीते अगड़म-बगड़म।
धरा रहे धरती पर धोखा,
समझे नहीं जगजाति बोड़म।।

कविता

पगडंडी पर आये कैसे !

जिसके टाबर दबे पड़े है
प्रश्न यही उठ जाये कैसे
निर्धन भूखे है सभी जाति में
उनको हक दिलवाए कैसे।

धिक्कार है सक्षम का आरक्षण
मुंह की कौर छुड़ाये कैसे।
छोटी डंडिया हवा में झूले
पगडंडियों पर आये कैसे।।

नेताओं की भूख बड़ी है,
उनसे पिण्ड छुटाएँ कैसे
कुर्सी के लालच से बोलो
आरक्षण को मुक्त कराये कैसे।।

आरक्षण की रचना दस वर्षों की
यह गिनती करवाये कैसे
बढे जा रहा, बढे जा रहा
इस पर लगाम लगाये कैसे।।

वोटों की ताकत ही हमको
अब इंसाफ दिला सकती है
वोटों की ताकत ही अब तो
यह अंधकार मिटा सकती है।

अब तो भई मुखर होकर के
यह आवाज लगानी है,
जो सम्पन्नों का आरक्षण खत्म करेंगा
बटन वहीं दबानी है।।

जिसके टाबर दबे पड़े है
प्रश्न यही उठ जाये कैसे
निर्धन भूखे है सभी जाति में
उनको हक दिलवाए कैसे।
-- साभार - हंसराज गुप्ता --

दूसरा उपाय या रास्ता

गतांग से आगे:

संक्षेप में कहें तो देश की समस्त जनता को अभाव एवं गरीबी से ऊपर उठाया जाना चाहिए। जन्म के आधार पर उत्पन्न होनेवाली असमानताओं को कम किया जाना चाहिए । किंतु यदि हम पिछले सौ वर्षों के इतिहास पर भी दृष्टि डालें तो पता चलेगा कि असमानता हर मानव में हमेशा बनी ही रहती है । इस इतिहास से हमें यह भी पता चलता है कि व्यक्तिगत, सामूहिक अथवा शासनगत स्तर पर जिन लोगों अथवा आंदोलनों ने असमानता को मिटाने और समानता स्थापित करने का सबसे ज्यादा दावा किया है, वे स्वयं असमानता को बढावा देनेवाले रहे हैं और असमानता के सिद्धांत पर ही वे स्थापित भी रहे हैं। इतना ही नहीं, समानता का राग अलापते हुए अन्य मौलिक आदर्शों-मूल्यों जैसे स्वतंत्रता की अनदेखी भी की जाती रही है । गरीबी दूर की जानी चाहिए; जाति-जन्म के आधार पर भेदभाव कम किया जाना चाहिए । इसके लिए जैसा संविधान-निर्माताओं ने परिकल्पना की थी, जाति-बहिष्कार और भेदभाव को समाप्त किया जाना चाहिए तथा साथ ही वंचित वर्गों को सकात्मक मदद पहुँचाई जानी चाहिए, ताकि वे अन्य वर्गों की बराबरी में आ सकें । किंतु यह सब एक धीमी प्रक्रिया होनी चाहिए, जल्दबाजी करने से सरकारी व्यवस्था पर विपरीत प्रभाव पडेगा । आर्थिक पैमाने के आधार पर वंचित वर्ग में शामिल किए जानेवाले लोगों को सरकार हर संभव सहायता पहुँचाए, जिससे उनका जीवन-स्तर ऊपर उठाया जा सके। नि:शुल्क एवं अतिरिक्त कोचिंग की सुविधा, सस्ता और अतिरिक्त पोषण, आवासीय सुविधा या इस प्रकार की अन्य जरूरतें पूरा करके, किंतु नौकरी में आरंभिक नियुक्ति के मामले में एकमात्र पैमाना यही होना चाहिए । अभ्यर्थी संबंधित कार्य को संपन्न करने की योग्यता नियुक्ति के समय रखता है या नहीं। आरंभिक नियुक्ति के बाद भी पूरे सेवाकाल के दौरान पदोन्नति आदि के लिए भी अभ्यर्थी की योग्यता और कार्य-अभिलेख को ही मानदंड बनाया जाना चाहिए।अभ्यर्थी का चयन करते समय उसके मूल्यांकन का आधार यही होना चाहिए कि वह संबंधित पद के लिए आवश्यक अर्हताएँ पूरी करता है या नहीं; यदि आवश्यक हो तो इस मूल्यांकन पद्धति की समय-समय पर समीक्षा करके उसमें आवश्यक सुधार लाए जाएँ, ताकि अधिक-से-अधिक योग्य अभ्यर्थियों का चयन हो सके। लेकिन किसी भी स्थिति में और किसी भी स्तर पर अर्हता-शर्तों में ढील नहीं दी जानी चाहिए । जो भी मानदंड अपनाए जाएँ, वे सबके लिए समान होने चाहिए । और जब कभी किसी व्यक्ति या समूह को सहायता दी जाए- चाहे वह सेवा क्षेत्र की, बात हो या किसी और क्षेत्र की, तब सरकार यह सुनिश्चित करने की व्यवस्था करे कि उसके द्वारा उपलब्ध कराई जानेवाली सहायता जरूरतमंदों तक पहुँच रही है । समय-समय पर उसकी समीक्षा भी की जानी चाहिए और वास्तविक स्थिति से संबंधित रिपोर्ट प्रकाशित की जानी चाहिए ।

....शेष अगले अंक में

अरूण शौरी की पुस्तक 'आरक्षण का दंश' से

समता आन्दोलन स्थापना महोत्सव जयपुर को सम्बोधित करते पदाधिकारी

श्रद्धेय पानाचंद जैन, संरक्षक

पाराशर नारायण शर्मा

रामनिरंजन गौड़

योगेन्द्र मेघसर

योगेश्वर झाडसरिया | रामप्रकाश सारस्वत | ऋषिराज राठौड़

जितेन्द्र सिंह

अध्यक्ष के उद्बोधन को एक स्वर में हाथ उठाकर सहमति देते सम्मानीय सदस्यगण

नवरंगलाल सिंगोडोदिया

सुनील जैन

पूरे प्रदेश में उत्साह से मनाया जा रहा है समता आन्दोलन का 16वां स्थापना दिवस

अजमेर

अजमेर- समता आन्दोलन समिति के 16वें स्थापना दिवस पर कप्तान दुर्गाप्रसाद चौधरी सर्किल बजरंगगढ चौराहे पर दीपदान किया गया। जिसमें करीब 501 दीपक प्रज्वलित किये गये। समिति के जिलाध्यक्ष केजी मोदानी ने संबोधित करते हुये कहा कि आरक्षण में जातिगत व्यवस्था के चलते ही आज मणिपुर जल रहा है। समता आन्दोलन अपने पूरे प्रयासों से सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम से

जाति आधारित आरक्षण व्यवस्था के विरूद्ध देशहित में प्रचार प्रसार कर इसे समाप्त करवाने में प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में 10 राज्यों में समता आन्दोलन समिति कार्यरत है तथा पिछड़े, वंचित व गरीबों को आरक्षण में क्रीमीलेयर लागू कर उन्हें हक दिलाने के लिए लगातार कार्यरत है। इस मौके पर विभिन्न विभागों के कार्मिक, सामाजिक संगठन के पदाधिकारी बड़ी संख्या में उपस्थित थे।

रूपनगढ कस्बे में समता आन्दोलन समिति का 16वां स्थापना दिवस विविध कार्यक्रम के साथ मनाया। मन्दिर श्रीरामजीद्वारा में अध्यक्ष गिरधर गोपाल पारीक के सानिध्य में हनुमान चालीसा के पाठ किये गये तथा गायों को चारा व गुड़ खिलाया। इस मौके पर वक्ताओं ने समता आन्दोलन के उद्देश्य व कर्तव्यों के बारे में बताया। कार्यक्रम में बुद्धिप्रकाश सारण, नितेश पारीक,सज्जन सिंह, राजू खां, देवकरण, मयंक, यज्ञनारायण प्रजापत, राजू कुमावत, विकास सेन सहित अनेक लोग मौजूद रहे। इस मौके पर हनुमान जी का अभिषेक व आरती की।

कोटा

आरक्षण का नहीं, जातिगत आरक्षण का विरोधी है समता आन्दोलन

कोटा: आरक्षण की जरूरत जिन्हें है उन्हें मिलना चाहिये। सम्पन्न और प्रभावशील व्यक्ति केवल जाति के नाम पर अन्य के अधिकारों का हनन ना करें। जातिगत आरक्षण में क्रीमीलेयर का प्रावधान लागू किया जाए। यह बात समता आन्दोलन के 16वें स्थापना दिवस पर राष्ट्रीय अध्यक्ष पाराशर नारायण ने कही। उन्होंने कहा कि देश में 13 राज्यों से 3.50 लाख से अधिक लोग समता आन्दोलन से जुड़ चुके है और 2.7

लाख सक्रिय कार्यकर्ता है। विशिष्ट अतिथि विधि प्रकोष्ठ के अध्यक्ष ऋषिराज सिंह राठौड, शिक्षा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष बाबूलाल विजय एवं बाबा शैलेन्द्र भार्गव गोदावरी धाम ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। संभागीय अध्यक्ष डॉ. अनिल शर्मा, संयोजक राजेन्द्र गौतम, संभागीय महामंत्री कमल सिंह व जिलाध्यक्ष गोपाल गर्ग मंचासीन रहे। संचालन महामंत्री रासबिहार पारीक ने किया। स्वागत भाषण गोपाल गर्ग ने दिया। महामंत्री कमल सिंह ने कहा कि राजनेताओं ने देश को जाति के आधार पर बांट दिया है।

बाबूलाल व ऋषिराज सिंह ने कहा कि आरक्षण की वजह से प्रतिभा का पलायन हो राह है। वर्षों से समता आन्दोलन के प्रति निष्ठा समर्पण भाव से कार्य करने वालों को समता श्री से विभूषित किया गया। डा. बनवारी लाल जिंदल, ममता कोठारी, संजय विजय, शंकर लाल सिंघल, गिरिराज शर्मा, मेहराजूदीन को समता श्री से सम्मानित किया गया।

मुआवजा दे सरकार, सीट नहीं, टिकटों का हो आरक्षण

संभागीय अध्यक्ष अनिल शर्मा ने राजनैतिक पार्टियों से आरक्षण व्यवस्था लागू करने की मांग की। टिकट वितरण में आरक्षण के प्रावधान लागू करवाने की बात कही। उन्होंने कहा कि सीट पर आरक्षण होने से योग्य व्यक्ति चुनाव लड़ने से वंचित हो जाता है। आरक्षण के कारण किसी प्रतिभा का हनन हुआ है तो इसका मुआवजा सरकार दे।

भरतपुर

जातिगत आरक्षण विरोध के आगाज के साथ समता आन्दोलन का सोलहवां स्थापना समारोह सम्पन्न

भरतपुर: पदोन्नति और जातिगत आरक्षण के साथ-साथ एट्रोसिटी एक्ट के प्रावधानों की अधिकृत अद्यतन जानकारी देने और इसके आधार पर हो रहे भेदभाव पूर्ण अन्याय और अत्याचार को समाप्त करवाने की दिशा में किये जा रहे प्रयासों को लेकर वयोवृद्ध समाजवादी नेता और पूर्व सांसद पंडित रामकिशन की अध्यक्षता एवं समता आन्दोलन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पाराशर नारायण शर्मा के मुख्य आतिथ्य में काली की बगीची स्थित गिरीश रिसोर्ट में समता आन्दोलन समिति का सोलहवां स्थापना महोत्सव भव्य तरीके से आयोजित

हुआ।

मंच पर विशिष्ट अतिथि के तौर पर समता आन्दोलन समिति उत्तर प्रदेश के प्रान्तीय अध्यक्ष गिरिजेश शर्मा, जयपुर के संभाग अध्यक्ष ऋषिराज राठौड, तूंगा से समर्पित कार्यकर्ता रमाकांत शर्मा और पल्लवी पाराशर नारायण उपस्थित रहे।

समारोह में एक सौ एक समतावादी सदस्यों का सम्मान राष्ट्रीय अध्यक्ष पाराशर नारायण शर्मा द्वारा किया गया। इसी अवसर पर संभाग अध्यक्ष हेमराज गोयल ने मुख्य अतिथि का स्वागत किया तथा जिलाध्यक्ष केदार नाथ पाराशर ने वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

मुख्य अतिथि के रूप में सम्बोधित करते हुये पाराशर नारायण शर्मा ने बताया कि वर्तमान राज्य एवं केन्द्र सरकार की व्यवस्थाओं से समाजों में बढती हुई दूरियां एवं समाप्त होते भाईचारे को लेकर सभी समाजों के शिक्षाविद, प्रबुद्धजन चिंतित है इसलिए सोचा गया कि ऐसा क्या किया जाए जो सभी समाजों को मान्य हो। और सभी को उचित सम्मान और न्याय मिल सके। इस समतावादी विचारधारा को लेकर समता आन्दोलन राष्ट्र के साथ चल रहा है।

आज कोई भी सरकार सामान्य वर्ग के बेरोजगार बच्चों के प्रति चिंतित नहीं है। जातिगत आरक्षण से अयोग्यजन को नौकरियां मिल रही है तो वहीं सामान्य वर्ग का बालक अधिक योग्यता रखते हुये भी बेरोजगार है। इसलिए हमें संकल्प लेना होगा कि हमें घरों से निकलकर काम को भी छोडकर मतदान करने अवश्य जाना है।

कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों का आभार ओमप्रकाश शर्मा ने किया। कार्यक्रम का संचालन हरिओम हरि एवं योगेश शर्मा ने किया। कार्यक्रम में कोशलेस शर्मा, सुनील कुमार बंसल, दिलिप कुलश्रेष्ठ, लखनपाल सिंह, बबीता रमेश, बाबूलाल कटारा, सुभाष पाराशर, अनिल गर्ग, कल्पना शर्मा, मनीष सोनी, देवेन्द्र सिंह, शेर सिंह, विवेक गुप्ता, लक्ष्मण उपाध्याय, सतीशचन्द्र गुप्ता, मनोज मिश्रा, यतेन्द्र पाण्डे, पंकज पाराशर, दिनेश कटारा, दयाचंद, नोवेन्द्र शर्मा आदि ने कार्यक्रम में सहभागिता निभाई।

जयपुर स्थापना समारोह की झलकियाँ

न कोई जाति न कोई वर्ण सारे भारतीय सवर्ण।

प्रकाशक, मुद्रक, स्वामी-समता आंदोलन समिति, प्रकाशन स्थान- 68, भारतेन्दु नगर, खातीपुरा, जयपुर, मुद्रण स्थान- इन्दु प्रिण्टर्स, कुचीलपुरा बीकानेर, सम्पादक-योगेश्वर शर्मा। Website:www.samtaandolan.co.in